



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeфроlko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/32/2016/एफ0री0 /17

दिनांक : 13/4/17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम-निधौली खुर्द के खसरा संख्या- 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0794 हे0 (पूर्व में 0.0768 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 277/14-2-2016-800 (39)/2016, दिनांक- 22.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 01.11.2016 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ० प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. प्रस्तावित वन भूमि की क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में दिये गये ले आउट प्लान से भिन्न है।
2. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 01.11.2016 के क्रम में यह सूचित करना है कि प्रकरण के ऑनलाईन विवरण (online version) में संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अपलोड नहीं किया गया है। प्रस्ताव को सही क्षेत्रफल के अनुसार संशोधित करें।

भवदीय,

(वृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ० प्र०।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, यू०पी० (वेस्ट), एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (वृजेन्द्र स्वरूप)
पत्रांक- 2140/एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 19, 2017
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई०एस०के० प्रो०कुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।